

¹[नियम 60 : आवक प्रदाय के अभिनिश्चित ब्यौरे का प्ररूप और रीति

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 60 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 60 यह इस प्रकार था—

नियम 60 : आवक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

- (1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 38 उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क, भाग ख और भाग ग में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरों को सम्मिलित करके, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों, यदि कोई हों, जिनकी प्ररूप जीएसटीआर-2 में इलैक्ट्रॉनिकी रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदायों को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागतः पात्र नहीं है, तो प्ररूप जीएसटीआर-2 में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक प्रदायों, जो गैर-कराधेय प्रदायों से संबंधित है या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका प्ररूप जीएसटीआर-2 में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा।
- (4क) किसी गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 66 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में कटौती किए गए कर के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-8 में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में संबंधित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (8) प्ररूप जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
 - (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंतः राज्य प्रदायों के बीजकवार ब्यौरे;
 - (ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात; और

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 ²[या प्ररूप जीएसटीआर-1क] में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में और प्ररूप जीएसटीआर-6क में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ख में को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (4) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में जिससे कटौती की गयी है को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (5) धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-8 में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्त्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2ख में ³[स्वतः जनित] किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :
 - (i) पूर्ववर्ती माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात् दिन से चालू माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके प्रदायकर्ता, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित प्रदायकर्ता से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जावक प्रदायों के ब्यौरे,
 - (ii) प्ररूप जीएसटीआर-5 में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटीआर-6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों

(ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नाम और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हो।

² अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

³ अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा "स्वतः तैयार" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

के ब्यौरे और उनके प्रदायकर्ता, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :

(क) तिमाही के प्रथम मास के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, तिमाही के पहले मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;

(ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** के देने की देय तारीख तक के बीच;

⁴[(iiक) पूर्व कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने की नियत तारीख के तुरन्त पश्चात् के दिन से लेकर वर्तमान कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच **प्ररूप जीएसटीआर-1**क में उससे पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्ति के विवरण में अतिरिक्त ब्यौरे का संशोधन;]

(iii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाये गये माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे,—

(i) तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक प्रदायों को प्रस्तुत कराने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त माह की

⁴ अधिसूचना क्रमांक 12/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा खंड (iiक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

जावक प्रदायों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन से]]
